::राजस्थान–सरकार::

कार्यालय प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, डॉ0 सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एंव संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांकः–एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2020/ दिनांकः .08.2020

::कार्यालय आदेश::

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्ठता एवं मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	नाम	विशिष्ठता	मेडिकल कॉलेज	जन्म तिथि
1	डॉ. अंतिमा नेमीवाल पुत्री श्री रमेश कुमार नेमीवाल	ई. एन. टी.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर	22.01.1989
2	डॉ सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नाथू सिंह राजपुरोहित	मनोरोग	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर	12.01.1993
3	डॉ मुकेश कुमार पुत्र श्री गणेश राम हरदु	शिशु रोग	राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली	08.06.1982

- उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्टों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टाईफण्ड रू. 61000/– एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सकों के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी।
- उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यार्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यार्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ–साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होगी।
- इन्हें नियमानुसार इस एक वर्ष की अवधि के दौरान 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा । इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधाचानाचार्य एवं नियंत्रक को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहरण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा,
- महिला अभ्यार्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईफाण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(डॉ गुलंझारी लाल मीना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः–एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2020/14184-89 दिनांकः29.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज पाली/बाड़मेर।
3. नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक कार्यालय हाजा।
5. संबंधित चिकित्सक।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

29/8/2020
(डॉ गुलझारी लाल मीना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक